सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या–859

29–7–2010

पंचायती राज पदाधिकारी को आर्थिक दण्ड

पटना, 29 जुलाई :: :राज्य सूचना आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त श्री पी0 एन0 नारायणन ने लोक सूचना पदाधिकारी सह पंचायत राज पदाधिकारी, नालंदा पर आर्थिक दण्ड लगाने का निर्णय लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सूचना आयुक्त ने आवेदिकाश्रीमती सीमा देवी को ससमय सूचना नहीं देने तथा आयोग द्वारा की गयी पृच्छा का जवाब नहीं देने के एवज में दिनांक 26. 9. 09 के प्रभाव से 19. 7. 10 तक के लिए 25000 रू0 का आर्थिक दण्ड निर्धारित किया है। साथ ही उन्हें निदेशित किया है कि दिनांक 30. 10. 10 तक मांगी गयी सूचना सुलभ करा दें और इस आशय की सूचना से आयोग को भी अवगत करा दें। ज्ञातव्य है कि इस मामले की अगली सुनवाई हेतु 12. 11. 10 की तिथि मुकर्रर की गयी है।

——————————